न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–74 सन् 2020

श्रीमती मिला देवी.......................वादिनी।

बनाम

बीबी सलमा खातुन वो अन्य ....प्रतिवादीगण।

दिनांक–16.09.2022

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 6 नियम 17 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दिनांक 13.04.2022 को दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि वादी ने यह मोकदमा तकरारी जमीन सिडियुल नं0 01 पर अपना दखल कब्जा वो हकियत घ ोषित करने के लिए दाखिल की है। सिडियुल नं0 01 की जमीन खरीदगी गया ठाकुर की थी वो कुछ जमीन खतियानी जमीन थी जिसको गया ठाकुर दिनांक 05.02.2011 को वादी को रजिस्ट्री बक्सीसनामा द्वारा दे दिए हैं। प्रतिवादी सं0 01 ता 06 वादी के वक्सीसनामा वाले जमीन पर बदरौन मोकदमा दिनांक 14.10.2021 से निर्माण कार्य शुरू कर निर्माण कर 14 धुर जमीन से बेदखल कर दिए हैं। जिसके कारण अर्जीदावी में कुछ बात मरम्मत होना जरूरी है। अर्जीदावी में इस मरम्मती से कोई स्वरूप नहीं बदलता है वो मरम्मती साधारण प्रकृति का है। इस मरम्मती के आवेदन पत्र को अर्जीनालिश का अंश माना जाएगा। अतः निवेदन है कि वादी के मरम्मती आवेदन को स्वीकार करने की कृपा की जाए।

उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रतिवादी की ओर से दाखिल नहीं किया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा दिनांक 13.04.2022 को आवेदन दाखिल कर अर्जीनालिश तथा दादरसी में मरम्मती हेतु जो आवेदन में लिखित है को दाखिल किया है। उक्त मरम्मती आवेदन शपथ पत्र से

समर्थित है। वादी का मरम्मती आवेदन स्वीकार होने से वादपत्र के स्वरूप में कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रतिवादी की ओर से दाखिल नहीं किया गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल मरम्मती आवेदन दिनांक 13.04.2022 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादी यदि चाहे तो वादी के मरम्मती आवेदन को आलोक में अतिरिक्त बयान तहरीरी दाखिल कर सकते हैं।

वाद दिनांक.................को वाद बिन्दु के निर्धारण हेतु।

लेखापित

सब जज

सोनपुर सारण।